रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 15, 1984/फाल्गुन 25, 1905
No. 73] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1984/PHALGUNA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

सा. का. नि. 216(अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 25(अ) दिनांक 11 जनवरी, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की निम्न सारणी में :—

(क) क्रम सं. 8 के बाद तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :—

1	2	3	4
"9.	शिपिंग एजेंटस एसोसिएशन, मर्मुगांव	नाविक	1"

(ख) कालम (4) में "कुल" शब्द के सामने संख्या "8" की बजाय संख्या "9" रखी जाये ।

[फाईल सं.-पी डब्ल्यू/पीटीबी/28-83]

सुदर्शन वसुदेव, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1984

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 25(E), dated the 11th January, 1984, namely :—

In the Table below the said notification,—

(a) after Serial Number 8 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"9.	Shipping Agents Association, Mormugao.	Shippers	1"

(b) against the word "Total", in column (4), for the figure "8", the figure "9" shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-28/83]

S. VASUDEV, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984